राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	119/2012, 120/2012 मंजू बनाम रामनाथदास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस की मौखिक बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/11/2025 को पेश हो।	
25/11/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी का वाद बाबत तकासमा आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का 1/2 भाग अलहदा कायम किया जाकर वादी का एक्सक्लूसिव कब्जा कराया जावे व राजस्व रिकार्डस में तरमीम कर वादी के भाग का राजस्व लगान अलहदा कायम किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एतराज बाबत कुर्रेजात प्रस्तुत नही होने के आधार पर मुताबिक कुर्रेजात एकजाई रूप से दोनों वादों क्रमश:-35/23/11, 93/24/11 में अपीलाधीन अन्तिम निर्णय दिनांक 03/02/2012 एवं डिक्री दिनांक 21/02/2012 के द्वारा विभाजन कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों वादों में इकजाई रूप से पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 03/02/2012 एवं डिक्री दिनांक 21/02/2012 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: 119/2012 एवं 120/2012 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयो का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये उनके समक्ष जाहिर समस्त तथ्यों का परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/02/2012 एवं डिक्री दिनांक 21/02/2012 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 119/2012 व 120/2012 ख़ारिज की जाती है। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	